



ISO-9001:2008

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

क्र.सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति तल का विवरण	सम्पत्ति का प्रकार	कारपेट एरिया वर्गफुट	आरक्षित मूल्य (रु० लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)
1.	आनन्द विहार योजना के एल पॉकेट में (GREEN ARCADE) कमर्शियल कॉम्प्लेक्स	15	प्रथम तल	एफ-6	160	12.95	1.50
				एफ-7	148	11.98	
				एफ-8 से एफ-14 तक	154	12.46	
				एफ-15 से एफ-19 तक	176	14.24	
				एफ-20	258.33	23.09	
2.		20	द्वितीय तल	एस-1	220	17.80	1.50
				एस-2 से एस-6 तक	160	12.95	
				एस-7	148	11.98	
				एस-8 से एस-14 तक	154	12.46	
				एस-15 से एस-19 तक	176	14.24	
				एस-20	285.33	23.09	

मुख्य आकर्षण :-

- हापुड़-दिल्ली मुख्य मार्ग पर स्थित प्राधिकरण की प्रीमियम अवासीय योजना आनन्द विहार के एल पॉकेट में प्रस्तावित प्राधिकरण का पहला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स।
- योजना से नई दिल्ली की दूरी मात्र 60 किमी० एन.एच.-9 से बेहतर कनेक्टिविटी।
- आनन्द विहार आवासीय योजना की सड़क संख्या-5 (36मीटर चौड़ी) पर हापुड़-दिल्ली मार्ग से 200 मीटर की दूरी पर स्थित।
- हापुड़ कलेक्ट्रेट के निकट स्थित।
- जिला प्रशासन व प्राधिकरण के अधिकारियों के निवास के समीप।
- कॉम्प्लेक्स के सम्मुख स्थित ग्रीन बैल्ट पर एम्यूजमेन्ट पार्क का निर्माण/ विकास प्रस्तावित।
- योजना में जनपद न्यायालय का निर्माण प्रस्तावित।
- चौड़ी सड़के, विकसित पार्क, स्ट्रीट लाईट्स व अन्य सुविधाओं से सुसज्जित।
- कॉम्प्लेक्स के अन्दर दुकानों का कब्जा दो वर्ष के अन्दर दिया जाना सम्भावित।
- कॉम्प्लेक्स में दो स्टेयकेस, एक लिफ्ट तथा पार्किंग की सुविधा दी जायेगी।

सामान्य निर्देश :-

- दुकानों का विक्रय नीलामी के माध्यम से किया जायेगा।
- नीलामी में प्राप्त सर्वोच्च दरों पर भूमि के मूल्य का नियमानुसार लीजरेट व फ्रीहोल्ड चार्ज जोड़कर संपत्ति का मूल्य निर्धारित किया जायेगा।
- नियमानुसार जी.एस.टी. जो वर्तमान में 12 प्रतिशत है, अवांटी को वहन करना होगा।
- आवेदनकर्ता एक ही तल पर एक ही पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष उस तल की समस्त दुकानों की नीलामी में इस प्रतिबंध के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं कि किसी भी दुकान के लिए उच्चतम बोली दाता में ना हो।
- कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) आवंटन पत्र की दिनांक से 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी।
- अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र की तिथि से 8 तिमाही किरातों में बिना ब्याज के सहित जमा करनी होगी।
- इच्छुक आवेदक दुकान प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण कार्यालय, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, आई.सी.आई.आई. बैंक की हापुड़ शाखाओं से रु० 1000/- का भुगतान कर औपचारिक आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए योजना के पंजीकरण समाप्ति से पूर्व निर्धारित पंजीकरण धनराशि के साथ आवेदन कर सकते हैं।